



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 2019/श्रावण 17, 1941
No. 456] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2019/SHRAVANA 17, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 565(अ).—केन्द्रीय सरकार, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) की धारा 24 के साथ पठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये 1 जुलाई, 1982 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 के नियम 2 के अंतिम परंतुक में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण.- इस परंतुक के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि विशेष प्रतिपूरक (दूरदराज क्षेत्र) भत्ते को 1 जुलाई, 1982 से अनुज्ञेय समझा जाएगा”।

[फा. सं.एल-11025/1/2013-न्या.]

सुषमा तायशेदे, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 में पृष्ठ 106 [गृह मंत्रालय सं.11/39/54-न्या.] में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 224 तारीख 24 जनवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और निम्नलिखित द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:

1. का.नि.आ. सं. 707 तारीख 28.2.1957
2. सा.का.नि. सं. 497 तारीख 13.3.1970
3. सा.का.नि. सं. 3365(अ) तारीख 11.7.1972
4. सा.का.नि. सं. 562 तारीख 21.4.1979
5. सा.का.नि. सं. 1015 तारीख 11.7.1979
6. सा.का.नि. सं. 1175 (अ) तारीख 4.11.1986
7. सा.का.नि. सं. 299 (अ) तारीख 4.12.1991
8. सा.का.नि. सं. 718 (अ) तारीख 4.12.1991
9. सा.का.नि. सं. 698 (अ) तारीख 4.12.1994
10. सा.का.नि. सं. 588 (अ) तारीख 4.12.1994
11. सा.का.नि. सं. 720 (अ) तारीख 3.11.1995
12. सा.का.नि. सं. 394 (अ) तारीख 1.7.2004 ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2019

G.S.R. 565(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 read with section 24, of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the High Court Judges Rules, 1956, namely:-

1. (1) Short title and Commencement- These rules may be called the High Court Judges (Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st July, 1982.
2. In the High Court Judges Rules, 1956, in rule 2, in the last proviso the following Explanations shall be inserted, namely:-

“Explanation.- For the purpose of this proviso, it is hereby clarified that Special Compensatory (Remote Locality) Allowance shall be deemed to be admissible from 1st July, 1982”.

[F.No. L-11025/1/2013-Jus.I]
SUSHMA TAISHETE, Jt. Secy.

Foot note:—Principal Rules were published in Gazette of India, Part II, Section 3 on page 106 [Home Ministry, No. 11/39/54-Judl] vide Notification No. S.R.O.224 dated 24th January, 1956 and subsequently amended by the following:

1. No. S.R.O. 707 dated 28.2.1957
2. No. G.S.R. 497 dated 13.3.1970
3. No. G.S.R. 3365(E) dated 11.7.1972
4. No. G.S.R. 562 dated 21.4.1979
5. No. G.S.R. 1015 dated 11.7.1979
6. No. G.S.R. 1175 (E) dated 4.11.1986
7. No. G.S.R. 299 (E) dated 4.12.1991
8. No. G.S.R. 718 (E) dated 4.12.1991
9. No. G.S.R. 698 (E) dated 4.12.1994
10. No. G.S.R. 588 (E) dated 4.12.1994
11. No. G.S.R. 720 (E) dated 3.11.1995
12. No. G.S.R. 394 (E) dated 1.7.2004.